न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 126 / 2023

1 गोकुल आयु 86 साल पुत्र मंगला जाति जाट निवासी ढाणी भांवरिया की तन सेफरागुवार तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांट

बनाम

1 विक्रम सिंह पुत्र स्व. प्रेम देवी
2 सत्यवीर सिंह पुत्र स्व. प्रेम देवी
3 भीमसिंह पुत्र स्व. प्रेम देवी
4 लालचन्द पुत्र स्व. प्रेम देवी
जति समस्त जाट निवासीगण बसई तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना राज.।
5 कृष्णा देवी पुत्री गोकल पत्नी श्योराम जाति जाट निवासी सेफरागुंवार तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना हाल आबाद बसई तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना राज.।
6 उप पंजीयक खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना राज.।
7 राजस्थान सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड
अधिकारी खेतड़ी, जिला नीमकाथाना राज.
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी विक्रम
सिंह वगै. बनाम गोकल वगै. मु.नं. 113/2022
निर्णय दिनांक 27.10.2023

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 113/2022 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपने आपको अपीलान्ट की पुत्री स्व. प्रेम देवी के वारिस कथित कर वादग्रस्त जमीन को पैत्रिक भूमि बताकर हक हिस्सा क्लेम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की प्लींडिग के मुताबिक अपीलान्ट कर्ता खानदान हुआ। कर्ता खानदान जरूरतों को पुरी करने के लिए सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार रखता है। अपीलान्ट द्वारा जमीन का बेचान भी दिनांक 10.10.2022 को पंजिकृत विक्रय विलेख के द्वारा एक दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का जमीन पर कब्जा काश्त नहीं है तथा न कभी रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि जमीन का बेचान हो गया है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने क्रेतागण को बिना पक्षकार बनाये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करेन में कानूनी गलती की है। आराजी मुतनाजा पर कब्जा बरोज विक्रय से क्रेतागण का है। कानून से कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। विधि में यह व्यवस्था है कि यदि पैत्रिक सम्पति का बेचान कर्ता द्वारा कर दिया जाता है तो उस सुरत में बेचाननामा को दीवानी अदालत में ही चुनौती दी जा सकती है और राजस्व अदालत को क्षेत्राधिकार नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व 5 ने अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10.10.2022 को कराये गये बेचाननामा को निरस्त करवाने हेतु दिवानी अदालत में दावा भी प्रस्तुत कर रखा था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की प्लींडिग को सही माना जाने की सूरत में भी विचारण न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय ने विधि को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 लोक सेवक है। लोक सेवक को उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन से रोका नहीं जा सकता। अपीलान्ट आदेश पारित होने के रोज आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार नहीं था। बावजूद जानकारी के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया तथा न विचारण न्यायालय ने पक्षकार बनाया। क्रेतागण की अनुपस्थिति में विचारण न्यायालय को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का हक नहीं था। विचारण न्यायालय के यहां आराजी मुतनाजा के संबंध में एक दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र क्रमशः मु.नं. 66/2018 व मु.नं.

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

32/2018 उनवानी चावली बनाम गोकल पेश हुआ। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 32/2018 को आदेश दिनांक 06.10.2022 के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया। उक्त दावा संख्या 66/2018 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाये जाने हेतु दावा की वादिया चावली ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पेश किया और एक प्रार्थना पत्र स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने पक्षकार बनने हेतु पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. क्रमशः आदेश दिनांक 16.08.2022 एवं 06.09.2022 के द्वारा निरस्त किये। उक्त आदेश अन्तिम है। उक्त आदेशों में दी गई फाईडिंग के विपरित देकर विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया जो तथ्य व विधि की भूल है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण/वादीगण ने मूलवाद संख्या 231/2022 उनवानी विक्रम सिंह आदि बनाम गोकल आदि बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि मानते हुये दायर किया है। पैतृक भूमि की बाबत प्रार्थीगण/वादीगण ने समस्त आवश्यक राजस्व रिकार्ड संवत 2012 से आदिनांक तक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मूलवाद पत्र में पेश किया है। वर्तमान जमाबन्दी के मुताबिक अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त रिकार्डेड खातेदार काश्तकार ने वादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2022 से दिगर व्यक्तियों को कर दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2022 से यह सिद्ध हो गया है कि आराजी मुतनाजा सम्पत्ति जिसके बारे में विवाद है, अप्रार्थी द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या हस्तान्तरित किये जाने के खतरे में है तथा न्याय का उद्देश्य विफल करने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अभिप्राय से उस सम्पति का व्यवयन करने की धमकी दी है। पत्रावली पर राजस्व अभिलेख जो प्रस्तुत हुआ है उससे अप्रार्थी संख्या 1 का प्राथमिक दृष्ट्या प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे में दखल अंदाजी करना व रूकावट पैदा करना आराजी मुतनाजा पर साबित है। प्रार्थीगण को उसके भू–भाग के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ पर वकील प्रार्थीगण की बहस के अनुसार मामला प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। दौराने अपील अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रार्थीगण/वादीगण ने मूलवाद संख्या 231/2022 उनवानी विक्रम सिंह आदि बनाम गोकल आदि बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि मानते हुये दायर किया है। पैतृक भूमि की बाबत प्रार्थीगण/वादीगण ने समस्त आवश्यक राजस्व रिकार्ड संवत 2012 से आदिनांक तक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मूलवाद पत्र में पेश किया है। वर्तमान जमाबन्दी के मुताबिक अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त रिकार्डेड खातेदार काश्तकार ने वादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2022 से दिगर व्यक्तियों को कर दिया है। पत्रावली पर राजस्व अभिलेख जो प्रस्तुत हुआ है उससे अप्रार्थी संख्या 1 का प्राथमिक दृष्ट्या प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कब्जे में दखल अंदाजी करना व रूकावट पैदा करना आराजी मुतनाजा पर साबित है। प्रार्थीगण को उसके भू–भाग के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ पर प्रार्थीगण की बहस के अनुसार मामला प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर